न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 70/2019 (2019/00170)

अपीलान्ट्स

1. करनाराम पुत्र अमराराम
2. खुमाराम पुत्र माधाराम
3. प्रभुराम पुत्र माधाराम
4. भीयाराम पुत्र माधाराम
5. मुनकी देवी पत्नी माधाराम

जातियान जाट, निवासीगण शिवगांव, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार झंवर जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम आदेश दिनांक 17.07.2019 बमुकदमा संख्या 01/2019 अनवान सरकार बनाम खुमाराम व अन्य जिसके द्वारा उन्होनें अपीलान्ट्स को बिना सुनवाई का अवसर दिये खसरा नं0 402 रकबा 1 बीघा गै0 मु0 रास्ता पर अतिक्रमी घोषित कर बेदखली एवं जुर्माना दण्डित कर दिया।

————

उपस्थिति :—

1. अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री चेतनराम जाखड़ उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट स्वयं उपस्थित।

—: आदेष :— दिनांक :— 29.04.2022

अपीलान्ट अभिभाषक ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम आदेश दिनांक 17.07.2019 बमुकदमा संख्या 01/2019 अनवान सरकार बनाम खुमाराम व अन्य जिसके द्वारा उन्होनें अपीलान्ट्स को बिना सुनवाई का अवसर दिये खसरा नं0 402 रकबा 1 बीघा गै0 मु0 रास्ता पर अतिक्रमी घोषित कर बेदखली एवं जुर्माना दण्डित कर दिया के विरूद्ध पेष की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम शिवगांव तहसील लूणी में अपीलान्ट की खातेदारी भूमि खसरा नं0 400 रकबा 17 बीघा 13 बिस्वा आई हुई है। अपीलान्ट के खातेदारी भूमि खसरा नं0 400 के दक्षिण में [illegible] रास्ता खसरा नं0 402 एवं उसके बाद खसरा नं0 403 की भूमि आई हुई है। [illegible] 402 पर [illegible] साल पहले मुडिया सड़क का निर्माण किया गया तथा 12 साल पहले उस पर मुरड़ डालकर पुनः

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:20:27 IST
Reason: SelfAttested

सड़क की मरम्मत की गई। यह रास्ता सेटलमेन्ट के समय से जिस स्थान पर था वही चल रहा है तथा अभी भी मुडिया सड़क उसी स्थान पर चल रही है। पटवारी हल्का रिपोर्ट में बतलाया कि अपीलान्ट द्वारा खसरा नं0 402 की 01 बीघा भूमि कब्जा कर धोरा लगाकर अतिक्रमण किया है जिस पर उपतहसीलदार झंवर ने दिनांक 24.01.2018 को अपीलान्ट संख्या 01 से 03 के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज किया तथा बिना अपीलान्ट को नोटिस दिये एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये दिनांक 27.02.2018 को खसरा नं0 402 रकबा 01 बीघा से बेदखल करने तथा जुर्माना रूपये 18 की शास्ती से दण्डित करने का एक तरफा आदेश पारित कर दिया। अपीलान्ट ने उप तहसीलदार झंवर के आदेश दिनांक 27.02.2018 के विरूद्ध न्यायालय के समक्ष अपील पेश की जो अपील दिनांक 03.07.2018 को आंशिक स्वीकार की जाकर उप तहसीलदार झंवर के आदेश दिनांक 27.02.2018 को निरस्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई के लिए उप तहसीलदार झंवर को रिमाण्ड कर दिया।

उपतहसीलदार झंवर के आदेश दिनांक 27.02.2018 के विरूद्ध न्यायालय के समक्ष अपील विचाराधीन रहते हुए भी उप तहसीलदार झंवर ने दिनांक 01.07.2019 को पुनः अपीलान्ट्स के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत कार्यवाही दर्ज कर नोटिस दिनांक 09.07.2019 को उपस्थित होने का जारी किया गया। उक्त एक ही नोटिस सभी अपीलान्ट्स के नाम जारी किया गया। अपीलान्ट करणाराम ने दिनांक 09.07.2019 को उप तहसीलदार झंवर के समक्ष उपस्थित होकर नोटिस का जवाब पेश किया एवं न्यायालय के आदेश दिनांक 03.07.2019 की प्रति एवं खसरा नं0 402 पर चालू सड़क के तीन फोटो पेश किये लेकिन उपतहसीलदार झंवर ने उक्त जवाब एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर नहीं लिया। अपीलान्ट संख्या 01 ने दिनांक 12.07.2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष उप तहसीलदार झंवर में विचाराधीन उक्त प्रकरण को तहसील जोधपुर में ट्रांसफर करने के लिए प्रार्थनापत्र पेश किया। माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने उक्त प्रार्थना–पत्र दर्ज कर उप तहसीलदार झंवर को नोटिस भेजा फिर भी उप तहसीलदार ने दिनांक 17.07.2019 को प्रकरण संख्या 01/2019 में आदेश पारित कर अपीलान्ट्स को मौके से अतिक्रमण हटाने व जुर्माने से दण्डित कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

अपीलान्ट अभिभाषक द्वारा यह अपील प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया। प्रकरण से संबंधित मूल रेकर्ड उप

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:20:27 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार झंवर से प्राप्त किया गया। प्रकरण में अपीलान्ट अभिभाषक की बहस दिनांक 29.03.2022 को सुनी जाकर पत्रावली आदेश हेतु रखी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक श्री चेतनराम जाखड़ ने अपनी बहस शुरू करते हुए अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बतलाया कि ग्राम शिवगांव तहसील लूणी में अपीलान्ट की खातेदारी भूमि खसरा नं0 400 रकबा 17 बीघा 13 बिस्वा आई हुई है। अपीलान्ट के खातेदारी भूमि खसरा नं0 400 के दक्षिण में कटाणी रास्ता, खसरा नं0 402 एवं उसके बाद खसरा नं0 403 की भूमि आई हुई है। रास्ता खसरा नं0 402 पर तीस साल पहले मुडिया सड़क का निर्माण किया गया तथा 12 साल पहले उस पर मुरड़ डालकर पुनः सड़क की मरम्मत की गई। यह रास्ता सेटलमेन्ट के समय से जिस स्थान पर था वही चल रहा है तथा अभी भी मुडिया सड़क उसी स्थान पर चल रही है। पटवारी हल्का रिपोर्ट में बतलाया कि अपीलान्ट द्वारा खसरा नं0 402 की 01 बीघा भूमि कब्जा कर धोरा लगाकर अतिक्रमण किया है जिस पर उपतहसीलदार झंवर ने दिनांक 24.01.2018 को अपीलान्ट संख्या 01 से 03 के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज किया तथा बिना अपीलान्ट को नोटिस दिये एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये दिनांक 27.02.2018 को खसरा नं0 402 रकबा 01 बीघा से बेदखल करने तथा जुर्माना रूपये 18 की शास्ती से दण्डित करने का एक तरफा आदेश पारित कर दिया। अपीलान्ट ने उप तहसीलदार झंवर के आदेश दिनांक 27.02.2018 के विरूद्ध न्यायालय के समक्ष अपील पेश की जो अपील दिनांक 03.07.2018 को आंशिक स्वीकार की जाकर उप तहसीलदार झंवर के आदेश दिनांक 27.02.2018 को निरस्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई के लिए उप तहसीलदार झंवर को रिमाण्ड कर दिया।

उपतहसीलदार झंवर के आदेश दिनांक 27.02.2018 के विरूद्ध न्यायालय के समक्ष अपील विचाराधीन रहते हुए भी उप तहसीलदार झंवर ने दिनांक 01.07.2019 को पुनः अपीलान्ट्स के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत कार्यवाही दर्ज कर नोटिस दिनांक 09.07.2019 को उपस्थित होने का जारी किया गया। उक्त एक ही नोटिस सभी अपीलान्ट्स के नाम जारी किया गया। अपीलान्ट करणाराम ने दिनांक 09.07.2019 को उप तहसीलदार झंवर के समक्ष उपस्थित होकर नोटिस का जवाब पेश किया एवं न्यायालय के आदेश दिनांक 03.07.2019 की प्रति एवं खसरा नं0 402 पर चालू सड़क के तीन फोटो पेश किये लेकिन उपतहसीलदार झंवर ने उक्त [illegible] उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर नहीं लिया। अपील[illegible] दिनांक 12.07.2019 को जिला

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:20:27 IST
Reason: SelfAttested

कलेक्टर के समक्ष उप तहसीलदार झंवर में विचाराधीन उक्त प्रकरण को तहसील जोधपुर में ट्रांसफर करने के लिए प्रार्थनापत्र पेश किया। माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने उक्त प्रार्थना–पत्र दर्ज कर उप तहसीलदार झंवर को नोटिस भेजा फिर भी उप तहसीलदार ने दिनांक 17.07.2019 को प्रकरण संख्या 01 / 2019 में आदेश पारित कर अपीलान्ट्स को मौके से अतिक्रमण हटाने व जुर्माने से दण्डित कर दिया, जो निरस्त योग्य है।

अपीलान्ट अभिभाषक ने अपनी बहस में आगे बतलाया कि रास्ता खसरा नं0 402 पर तीस साल से मुड़िया सड़क से निर्माण किया गया था और इस सड़क की पुनः मरम्मत भी की गई। यह रास्ता वक्त सैटलमेन्ट के समय से जिस स्थान पर था, उसी स्थान पर चल रहा है। अपीलान्ट अभिभाषक का यह भी कथन है कि खसरा नं0 403 व 404 के कब्जेदारों ने अपीलान्ट की खातेदारी 7 बीघा भूमि कब्जा करने की नियत से पटवारी हल्का कालीजाल से मिलकर रास्ता खसरा नं0 402 को चालू रास्ते से करीब 150 फीट अपीलान्ट की खातेदारी भूमि में होना बताकर अपीलान्ट का एक बीघा कब्जा धोरा कर अतिक्रमण की रिपोर्ट उप तहसीलदार झंवर को प्रस्तुत की जिस पर न्यायालय उप तहसीलदार झंवर ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट को उक्त भूमि से बेदखली करने जैसा आदेश पारित कर दिया।

अपीलान्ट अभिभाषक ने बहस में आगे बतलाया कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 व 60 में वर्णित दिशा–निर्देशो की पालना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई और एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया।

हमने अपीलान्ट अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रिकॉर्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार झंवर के प्रकरण संख्या 23 / 2018 निर्णय दिनांक 27.02.2018 को निरस्त किया जाकर प्रकरण उप तहसीलदार झंवर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि वह अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा, 1956 की धारा 91 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार विधिसमत् निर्णय पारित करे लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्देशों की पालना किये बिना मुकदमा संख्या 01 / 2019 में अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.07.2019 पारित कर दिया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अधीन नोटिस जारी किया गया जिसका जवाब अप्रार्थी करणाराम द्वारा दिया गया जिसका अधीनस्थ द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया। इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:20:27 IST
Reason: SelfAttested

में उपतहसीलदार झंवर को निर्देशित किया गया था कि अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत् निर्णय करे इसकी पालना भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार झंवर के प्रकरण संख्या 01/2019 दिनांक 17.07.2019 में पारित निर्णय को निरस्त किया जाकर प्रकरण उप तहसीलदार झंवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा, 1956 की धारा 91 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करे।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

आदेश आज दिनांक 29.04.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:20:27 IST
Reason: SelfAttested